

प्रेषक,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

- (1) समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त प्रधान प्रबंधक/प्रबंधक,
दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश।
- (4) वित्त नियंत्रक,
दुग्धशाला विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) सचिव,
उ०प्र०राज्य दुग्ध परिषद।
- (6) निदेशक,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ।
- (7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /दु०परि०/उ०प्र०दुग्ध नीति-2018, दिनांक: 18 अक्टूबर, 2019
विषय:- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन एण्ड मानीटोरिंग
सेंटर (पी०एफ०एम०सी०) का गठन।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत "प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन एण्ड मानीटोरिंग
सेंटर (पी०एफ०एम०सी०)" के गठन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1187/53-1-19-
1(विविध)/2018, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही
है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(श्रीनिवास)

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी।

पत्रांक स्री-459 /तददिनांक,
प्रतिलिपि-

✓1-वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उपर्युक्त शासनादेश की प्रति सहित
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें
(संलग्नक: यथोक्त शासनादेश)।

2-अनु सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र०शासन को उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में।

3-समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

(श्रीनिवास)

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी।

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या-1187/53-1-19-1(विविध)/2018
लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास करने, दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मेक इन यू0पी0 को प्रोत्साहन, नये रोजगार सृजन, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन तथा समस्त स्टेक होल्डर्स (हितधारक) को आधिकाधिक लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018 दिनांक 07.06.2018 द्वारा "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" प्रख्यापित की गयी है।

2- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" के प्रस्तर-2.3 रणनीति के अन्तिम बिन्दु-9 में दी गयी व्यवस्थानुसार दूध के व्यापक उत्पादन क्षेत्र को देखते हुए आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकी दक्षता को नवीन उद्यमियों को सुलभ कराने तथा परियोजनाओं के लिए सुविधा प्रदान करने एवं अनुश्रवण करने के लिए मुख्यालय स्तर पर "प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन एण्ड मानीटोरिंग सेन्टर" (पी0एफ0एम0सी0) का गठन किया जाता है :-

1	अपर दुग्ध आयुक्त	अध्यक्ष
2	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य
3	दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	सदस्य
4	दुग्धशाला विकास अधिकारी (विधि), मुख्यालय	सदस्य
5	वित्त नियंत्रक / सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
6	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध नीति), मुख्यालय	सदस्य-सचिव

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1187(1)/53-1-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी उ0प्र0।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।